फा.सं.12/1/2018-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 20 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में सितम्बर, 2021 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ सितम्बर, 2021 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034763

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप-राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत रकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का सितंबर, 2021 माह के लिए मासिक सार।

1. संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय, संसद में प्रश्नों या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें। मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को छांटता है और उन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। प्रशासनिक मंत्रालयों से आश्वासन की पूर्ति के संबंध में प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संबंधित सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1956 से अगस्त, 2021 तक लोक सभा के संबंध में कुल 96960 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 57062 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 1705 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 817 आश्वासन लंबित हैं।

सितंबर, 2021 माह के दौरान, लोक सभा की कार्यवाहियों में से 20 आश्वासन और राज्य सभा की कार्यवाहियों में से 15 आश्वासन निकाले गए।

3. लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

सितम्बर, 2021 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले

राष्ट्रीय युवा संसद योजनाओं में भाग लेने के लिए 328 स्कूलों के पंजीकरण की समीक्षा की गई और उनमें से 64 स्कूलों के पंजीकरण को मंजूरी दी गई।

6. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा): एक राष्ट्र – एक एप्लिकेशन

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कामकाज को कागज रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और पब्लिक पोर्टल पर अनुमत सामग्री को रियल टाइम में प्रकाशित करना है। नेवा वेब आधारित और एप्लिकेशन आधारित (एन्ड्राएड और आईओएस दोनों) दोनों प्लेटफार्मों पर राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए एक समान प्रारूप में कार्य करती है।

विभिन्न राज्यों ने नेवा, डिजिटल विधानमंडल की परियोजना को अपनाया है और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विधानमंडलों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु ज्ञान अंतरण के एकमात्र प्रयोजन के साथ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), नेवा ने संबंधित विधानसभा/परिषद/राज्य एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण/कार्यशाला शुरू कर दी हैं।

सितंबर, 2021 तक नेवा के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 17 राज्यों (19 सदनों) के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें बिहार (विधानसभा और परिषद), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (विधानसभा और परिषद) और मिजोरम शामिल हैं। नेवा परियोजना की मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 11 राज्यों (12 सदनों) अर्थात पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा और परिषद), नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और हरियाणा द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है जिनमें से नेवा के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त का भुगतान पहले 7 राज्यों (8 सदनों) को किया जा चुका है।

सितम्बर, 2021 मास के दौरान-

i) पंजाब विधानसभा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13-14 सितंबर, 2021 को 2 दिवसीय (2 सत्र) ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में पंजाब विधानसभा के अधिकारियों को नेवा सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल में प्रशिक्षित किया गया। जिसमें उनकी शंकाओं का समाधान करना भी शामिल था। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरे भारत में मनाए जा रहे "आजादी का अमृत महोत्सव" का हिस्सा था।

ii) उत्तर प्रदेश विधान परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अनुबंध-1

सितंबर, 2021 के हुई परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, तारीख और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/अभ्युक्ति
1	मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे	वित्त	"बुनियादी ढांचे के विकास हेतु नए राष्ट्रीय बैंक के प्रभावी कामकाज के लिए सुझाव'	समिति कक्ष '63' प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली
2	गुरूवार, 9 सितम्बर, 2021 को अपराह्न 3.00 बजे	कृषि और किसान कल्याण	प्रधान मंत्री किसान, कृषि अवसंरचना निधि और एमआईडीएच स्कीम .	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर

संसद सदस्य जिनके नाम दिसंबर, 2021 के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	उस परामर्शदात्री समिति का नाम जिस पर नामित थे	कारण
1	श्री ऑस्कर फर्नांडिज, संसद सदस्य (राज्य सभा)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	13.09.2021 को निधन हो गया